



राजस्थान-सरकार

विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं.: 0141-2224878

क्रमांक: एफ04(219)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16/ ७९०

दिनांक:

३१ अगस्त २०१६

ई-मेल: rmsc.mnijy@gmail.com

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

राजस्थान।

विषय:- अतिं बजट डिमाण्ड भिजवाने के क्रम में।

उपरेक्त विषयात्मक लेख है कि मुख्यमंत्री नियुक्त जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में समय-समय पर डिमाण्ड अनुसार एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा केंद्रों के उपयोग हेतु विभिन्न मदों में बजट ऑवंटित किया गया है।

जिसके उपयोग सम्बन्धी दिशा निर्देशों, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के क्रम में माह दिसम्बर 2015 में आपके अधीन लेखाकारियों के साथ विचार विर्त्त मी किया गया है जिसके आधार पर विभिन्न उपयोगों से अनुपयोगी राशि प्रत्याहरित की गई तथा इन भदों में मार्च 16 तक होने वाले तथा बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अतिं बजट की डिमाण्ड प्राप्त की गई जिसके अनुसार समय समय पर आपके कार्यालयों को अतिं बजट राशि ऑवंटित भी की गई है।

इस सबध में पुनः लेख है कि मुख्यमंत्री नियुक्त जांच योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट के पटे यदि कार्यालयों में राशि अवश्य रहती है तो उसे प्रत्याहरित करने की कार्यवाही करावे एवं मार्च 16 तक होने वाली सभी प्रकार के बकाया दायित्वों जैसे मानव संसाधन के मानदेय भुगतान, उपकरणों के कन्युमेन्ट्स/रिपोर्ट्स/एप्रेमसी/सीएमसी आदि के ब्याहेतु यदि अतिं बजट डिमाण्ड की आवश्यकता रहती है तो अविलम्ब विवरण सहित अतिं बजट डिमाण्ड इस कार्यालय को ईमेल rmsc.mnijy@gmail.com पर दिन 10.03.16 तक प्रेषित करावें। जिससे अतिं बजट हस्तांतरित किया जा सके।

इसके पश्चात यदि आपके अधीन कार्यालयों में किसी भी प्रकार की बकाया देनदारियारहती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक: एफ04(219)/एमएनजेवाई/बजट/2015-16/

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, निं० एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री नियुक्त जांच योजना, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय), निं० एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, को भेजकर लेख है कि आपके जोन के अधीन चिकित्सा केंद्रों में उक्तानुसार पालना सुनिश्चित कराते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें।
5. प्रमाणी सर्वेर रज्म को विभागीय बोर्डसाइट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर